मु0न0:– 15/2024 उनवान:– धनपति बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 15/2024 रजू दिनांक:– 07.08.2024

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. घनपति देवी पुत्री रमसी पत्नि ओमप्रकाश बैरवा निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. गोरधनी पुत्री रमसी पत्नि गिर्राज जाति बैरवा निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल वासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीयागण

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक:– 07.04.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 894/0.38, 895/0.38, 918/0.70, कुल किता 3 कुल रकवा 1.46 है0 मे वादीयागण प्रत्येक बहिस्सा 1/4–1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा हाल जमाबन्दी मे उपरोक्तानुसार ही खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादीयान के पिता की मृत्यु के बाद नामांतकरण खोलते समय उक्त वर्णित आराजीयात मे तहसील कर्मचारियो ने गफलत व लापरवाही से वादीया न0 1 का सही नाम धनपति देवी के स्थान पर वादीया न0 1 का नाम धनवन्ती पुत्री रमसी दर्ज कर दिया तथा वादीया न0 2 का सही नाम गोरधनी के स्थान पर वादीया न0 2 का बोलता नाम लोहडी पुत्री रमसी दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है, जबकि वादीया न0 1 का सही नाम धनपति देवी तथा वादीया न0 2 का सही नाम गोरधनी है। जो कि वादीयागण के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य कागजात मे वादीयागण का सही नाम धनपति देवी व वादीया न0 2 का सही नाम गोरधनी दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि वर्णित आराजीयात मे वादीयागण का नाम धनवन्ती पुत्री रमसी दर्ज है तथा वादीया न0 2 का नाम लोहडी पुत्री रमसी दर्ज है, जो गलत इन्द्राज है। इसलिये वादीया न0 1 धनवन्ती पुत्री रमसी के स्थान पर धनपति देवी पुत्री रमसी तथा वादीया न0 2 लोहडी पुत्री रमसी के स्थान पर गोरधनी पुत्री रमसी दर्ज होना नितान्त आवश्यक [illegible] है।

यह है कि दिनांक 30.07.2024 को [illegible] राजस्व रिकार्ड मे हुई उक्त त्रुटी को दुरूस्त कराने का [illegible] किया [illegible] तहसीलदारजी टोडाभीम ने राजस्व रिकार्ड मे उक्त त्रुटी को दुरूस्त करने से मना कर दिया [illegible] वादीयान से सक्षम न्याया[illegible] कार्यवाही कराने को कहा इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

टतः दावा वादीयान इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 894/0.38, 895/0.38, 918/0.70, कुल किता 3 कुल रकवा 1.46 है0 मे धनवन्ती पुत्री रमसी को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम धनपति देवी पुत्री रमसी एवं वादीया न0 2 के नाम लोहडी पुत्री रमसी को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम गोरधनी पुत्री रमसी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को करने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 894/0.38, 895/0.38, 918/0.70, कुल किता 3 कुल रकवा 1.46 है0 मे जगराम पुत्र रमसी हि0 1/4, धनवन्ती , मिश्री, लोहडी पुत्रिया रमसी हि0 3/4 जाति बैरवा सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। रमसी के फौत होने पर विरासत के नामांतकरण न0 744 दिनांक 11.06.2012 से लोहडी पुत्री रमसी व धनवन्ति पुत्री रमसी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। वादीयान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र मे नाम धनपति व गोरधनी अंकित है वादीयान का नाम राजस्व रिकार्ड मे विरासत के नामांतकरण धनपति व गोरधनी अंकित है वादीयान का नाम राजस्व रिकार्ड मे विरासत के नामांतकरण न0 744 दिनांक 11.06. 2012 से लोहडी पुत्री रमसी व धनवन्ति पुत्री रमसी से आया है अतः उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का बनता है।

वादीयागण वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादीयागण वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि कुल किता 3 कुल रकवा 1.46 है0 मे वादीयागण प्रत्येक बहिस्सा 1/4–1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीयान के पिता की मृत्यु के बाद नामांतकरण खोलते समय उक्त वर्णित आराजीयात मे वादीया न0 1 का सही नाम धनपति देवी के स्थान पर वादीया न0 1 का नाम धनवन्ती पुत्री रमसी तथा वादीया न0 2 का सही नाम गोरधनी के स्थान पर वादीया न0 2 का बोलता नाम लोहडी पुत्री रमसी दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है, जबकि वादीया न0 1 का सही नाम धनपति देवी तथा वादीया न0 2 का सही नाम गोरधनी है। जो कि वादीयागण के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य कागजात मे वादीयागण का सही नाम धनपति देवी व वादीया न0 2 का सही नाम गोरधनी दर्ज है। इसलिये वादीया न0 1 धनवन्ती पुत्री रमसी के स्थान पर धनपति देवी पुत्री रमसी तथा वादीया न0 2 लोहडी पुत्री रमसी के स्थान पर गोरधनी पुत्री रमसी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिये जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात कुल किता 3 कुल रकवा 1.46 है0 मे जगराम पुत्र रमसी हि0 1/4, धनवन्ती , मिश्री, लोहडी पुत्रिया रमसी हि0 3/4 जाति बैरवा सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। रमसी के फौत होने पर विरासत के नामांतकरण न0 744 दिनांक 11.06.2012 से लोहडी पुत्री रमसी व धनवन्ति पुत्री रमसी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। वादीयान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र मे नाम धनपति व गोरधनी अंकित है वादीयान का नाम राजस्व रिकार्ड मे विरासत के नामांतकरण न0 744 दिनांक 11. 06.2012 से लोहडी पुत्री रमसी व धनवन्ति पुत्री रमसी से आया है अतः उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 164 मे कुल किता 3 कुल रकवा 1.46 है0 मे जगराम पुत्र रमसी हिस्सा 1/4, धनवन्ती पुत्री रमसी हिस्सा 1/4, मिश्री पुत्री रमसी हिस्सा 1/4, लोहडी पुत्री रमसी हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे वादीयागण के आधार कार्ड न0 4546 4290 1704 मे धनपति देवी पत्नि ओमप्रकाश बैरवा निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम, तथा आधार कार्ड न0 गोरधनी पत्नि गिर्राज निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम का अंकन है। परन्तु पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का बताया गया है, चुंकि वादपत्र मे चाहे गये अनुतोष भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 व इस्तकरारहक की श्रेणी मे नही आता है। इसलिये वादीयागण का दावा तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त जबाब रिपोर्ट तथा पत्रावली के अवलोकन अनुसार स्वीकार योग्य करना उचित नही पाते है।

आदेश

अतः वादीयागण का दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम जिला, करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:25:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner